

**न्यायालय: श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 648 / 2013  
संस्थान दिनांक 29.10.2013

म.प्र. शासन तर्फे आरक्षी केन्द्र अंजड़  
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

**वि रू द्ध**

भारत पिता दरियाव कोली, आयु 35 वर्ष,  
निवासी- ग्राम सजवाय, हाल मुकाम  
ग्राम हरिबड़ बेड़ी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

**// नि र्ण य //**

**(आज दिनांक 28.04.2016 को घोषित)**

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 303/2013 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 में दिनांक 29.10.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 24.10.201 को समय 16:30 बजे स्थान- ग्राम मुण्डियापुरा गाँव बाहर (सुराना रोड़) ग्राम कापलीपुरा फाटे में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक काले रंग के रबर के ट्यूब में लगभग 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 सी. 6388 में परिवहन करते हुए पाये जाने तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति के लोक मार्ग पर चलाने के संबंध में धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. परिवादी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 24.10.2013 को पुलिस को कस्बा भ्रमरण के दौरान ग्राम मुण्डियापुरा में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हरिबड़ की ओर से एक व्यक्ति वाहन सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 सी. 6388 पर रबर के ट्यूब में अवैध रूप से हाथ भट्टी की कच्ची महुआ मदिरा भरकर बांधकर बैचने के लिए ग्राम मण्डवाड़ा तरह से आ रहा है। पुलिस ने सूचना पर विश्वास कर पंचान सुनिल एवं देवेन्द्र को तलब कर हमराह लेकर ग्राम मुण्डियापुरा गाँव बाहर कापलीपुरा फाटा के पास एक व्यक्ति वाहन सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 सी. 6388 से जिस पर रबर ट्यूब बंधा हुआ ग्राम हरिबड़ की ओर से आते दिखा, जिसे पंचान व पुलिस ने मोटरसाईकिल सहित पकड़ा। पूछने पर उसने उसका नाम भारत बताया। पुलिस ने वाहन उक्त सुजुकी मोटरसाईकिल पर बंधे रबर के ट्यूब को चेक करने पर उसमें लगभग 15 लीटर अवैध कच्ची हाथ भट्टी महुआ मदिरा होना पाई। पुलिस ने अभियुक्त से मदिरा रखने संबंधी अनुज्ञप्ति पूछने पर नहीं होना बताया। पुलिस ने अभियुक्त से वाहन सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 सी. 6388 एवं मदिरा जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया। पुलिस ने अभियुक्त भारत के विरुद्ध थाने अपराध क्रमांक 303/2013 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 7 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त भारत के विरुद्ध धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि कि :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 24.10.201 को समय 16:30 बजे स्थान- ग्राम मुण्डियापुरा गाँव बाहर (सुराना रोड़) ग्राम कापलीपुरा फाटे में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक काले रंग के रबर के ट्यूब में लगभग 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 सी. 6388 में परिवहन करते हुए पाये गये ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति के लोक मार्ग पर चलाने के

यदि हाँ तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में देवेन्द्र (अ.सा.1), सुनिल सोलंकी (अ.सा.2), मुन्ना उर्फ शांतिलाल (अ.सा.3), जयपालसिंह (अ.सा.4) एवं सहायक उपनिरीक्षक कमल तारे (अ.सा.5) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक उपनिरीक्षक कमल तारे (अ.सा.5) ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 24.10.2013 को थाना अंजड़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा प्रधान आरक्षक जयपालसिंह को साथ लेकर देहात भ्रमण पर था। ग्राम मुण्डियापुरा में उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम हरिबड़ की ओर से एक व्यक्ति सुजुकी मोटरसाईकिल पर रबर के ट्यूब में अवैध रूप से हाथ भट्टी की बनी हुई मदिरा को बैचने के लिए ग्राम मण्डवाड़ा की ओर आ रहा है। सूचना पर विश्वास कर उसने

राहगीर पंचान सुनिल पिता नयनसिंह एवं देवेन्द्र पिता सीताराम को बुलाकर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया और उन्हें साथ लेकर ग्राम कापलीपुरा फाटे पर पहुँचे तथा आड़ में छिप गये। हरिबड़ की ओर से अभियुक्त लाल रंग की सुजुकी कम्पनी की मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 सी. 6388 को लेकर आया जिसे उन्होंने मिलकर पकड़ा तथा उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम भारत पिता दरियाव होना बताया और मोटरसाईकिल पर बंधे हुए काले रंग के रबर के ट्यूब में तरल पदार्थ था जिसे खोलकर देखने पर लगभग 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा भरी हुई पाई गई, जिसे कब्जे में रखने का अभियुक्त के पास कोई दस्तावेज नहीं था। अतः उसने अभियुक्त के कब्जे से एक काले रंग के ट्यूब में लगभग 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की जो आर्टिकल 'ए' है। उसने मदिरा एवं मोटरसाईकिल को प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त किया था। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा साक्षी सुनिल, देवेन्द्र एवं जयपाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा अभियुक्त, जप्त मदिरा एवं मोटरसाईकिल को लेकर थाने गया जहाँ उसने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 303/13 प्रदर्शपी 7 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मदिरा की जाँच आबकारी उपनिरीक्षक अंजड़ से करवाई थी। साक्षी ने रवानगी एवं वापसी रोजनामचा की प्रतिलिपि प्रदर्शपी 8 एवं 9 भी प्रदर्शित की है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मुखबिर ने उसे अभियुक्त का नाम एवं वाहन का क्रमांक नहीं बताया था। उसने एक ही वाहन चेक किया था जो लाल रंग का था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से कोई मदिरा साक्षियों के समक्ष जप्त नहीं की थी, साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे, उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

9. जयपालसिंह असा 4 ने कमल तारे असा 5 के कथनों का समर्थन करते हुए कमल तारे के साथ गश्त पर जाने और मुखबिर की सूचना उपरांत अभियुक्त से मोटरसाईकिल में रखे हुए काले रंग के ट्यूब में मदिरा एवं मोटरसाईकिल जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने मौके पर तरल पदार्थ का परीक्षण नहीं किया था और नापा नहीं था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियुक्त को थाने पर लाकर पंचनामें बनाये थे लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने अभियुक्त से कोई वस्तु जप्त नहीं हुई थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

10. मुन्ना उर्फ शांतिलाल असा 3 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। एक वर्ष पूर्व अभियुक्त उससे मोटरसाईकिल मांग कर ले गया था। बाद में थाने वालों ने उसे थाने पर बुलाकर मोटरसाईकिल के बारे में पूछा था तो उसने बताया कि मोटरसाईकिल उसकी है। साक्षी का यह कथन है कि अभियुक्त के पास लायसेंस नहीं था, इसलिए मोटरसाईकिल पुलिस ने जप्त कर ली थी। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त उसका दामाद है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त उसकी मोटरसाईकिल में ट्यूब से अवैध मदिरा ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त का रिश्तेदार होने से असत्य कथन कर रहा है।

11. देवेन्द्र असा 1 एवं सुनिल असा 2 का कथन है कि वे अभियुक्त से मदिरा जप्त करने के साक्षीगण हैं किन्तु उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है तथा उनके सामने अभियुक्त से कोई भी वस्तु जप्त होने से इंकार किया है तथा अभियोजन के मामले का स्पष्ट खण्डन किया है। देवेन्द्र असा 1 ने केवल प्रदर्शपी 1 एवं 2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है तथा इस सुझाव से इंकार किया कि वे असत्य कथन कर रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में देवेन्द्र असा 1 ने स्वीकार किया कि वह पुलिस का वाहन चलाता है और पुलिस उससे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाती है।

12. ऐसी स्थिति में जबकि जप्ती पंचनामों के दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है तथा अभियुक्तों ने उनके सामने कोई भी वस्तु जप्त होने से इंकार किया है तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में उक्त मोटरसाईकिल एम.पी. 10 सी. 6388 से अवैध रूप से मदिरा का परिहवन किया। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्त को उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी पारित नहीं किया जा सकता है।

11. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त भारत के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक काले रंग के रबर के ट्यूब में लगभग 15 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ मदिरा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए तथा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 सी. 6388 दिनांक 06.12.2013 को उसके पंजीकृत स्वामी शांतिलाल पिता शिवजी, निवासी-ग्राम हरिबड़ को सुपुर्दगीनामे पर दी गयी है, उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी